लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5597

जिसका उत्तर बुधवार, 06 अप्रैल, 2022 को दिया जाएगा

उपभोक्ता संरक्षण नियमों में संशोधन

5597. श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री एम.के. राघवन:
श्री दीपक बैज:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 में संशोधन को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुरूप बन सके, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री की परिभाषा में विक्रेताओं के नेटवर्क को भी रेखांकित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय और पिरामिड योजनाओं के बीच अंतर का प्रावधान करने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में 74 लाख से अधिक प्रत्यक्ष बिक्री करने वालों (भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री संघ के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार) की आजीविका सुरक्षित रहे; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 देश में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से जुड़ी कंपनियां और प्रत्यक्ष विक्रेताओं के कार्य विपरीत रूप से प्रभावित न हों; और

(घ) केरल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं के विनियमन और प्रत्यक्ष बिक्री में अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम के लिए उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 को दिनांक 28.12.2021 को अधिसूचित किया गया है।

(घ): वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की पोर्टबिलिटी की सुविधा अब तक केरल राज्य सहित 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्षम बनाई गई है जिसमें लगभग 77 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को कवर किया गया है।

******